न्यायालय उप जिलाधिकारी फरीदपुर जिला बरेली ।

वाद सं0 16/12
राजेन्द्र कुमार गुप्ता बनाम

धारा 143 जे0ए0एण्ड एल0आर0एक्ट
सरकार
ग्राम गौसगंज सराय
परग0 व तह0 फरीदपुर जिला बरेली ।

नकल निर्णय आदेश दिनांक 13-3-12

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट 19 एम0आई0जी0 आवास विकास कालौनी सिविल लाईन बरेली द्वारा ट्रस्टी मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 19 एम0आई0जी0 आवास विकास कालौनी सिविल लाइन बरेली ने प्रार्थना पत्र,खतौनी वर्ष 1418 से 1421फसली ग्राम गौसगंज सराय एवं शपथ पत्र संलग्न करते हुये धारा 143 जे0ए0एण्ड एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत ग्राम गौसगंज सराय स्थित भूमि खाता संख्या 83 गाटा संख्या 371 रकबा 0.657है0, लगान 15.12रु0 भूमि को शैक्षणिक संस्थान के प्रयोग हेतु अकृषिक घोषित कराने की प्रार्थना की है । प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार फरीदपुर से जाँच कर आख्या प्राप्त की गयी । तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी जाँच आख्या दिनांक 13.01.2012 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है ।

मेरे द्वारा पत्रावली पैर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों एवं तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनॉक 13.01.2012 का भली भांति अवलोकन किया गया । स्पष्ट है कि आराजी स्थित ग्राम गौसगंज सराय परग0 व तह0 फरीदपुर जिला बरेली के खाता संख्या 83 गाटा संख्या 371 रकबा 0.657है0 लगान 15.12रु0 भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनॉक 13.01.2012 के आधार पर आराजी स्थित ग्राम गौसगंज सराय परग0 व तह0 फरीदपुर जिला बरेली के खाता संख्या 83 गाटा संख्या 371 रकबा 0.657है0 लगान 15.12रु0 भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है । ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 तद्‌विषयक नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत आदेश किया जाता है कि आदेश की दो प्रतिया उप निबन्धक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये कि प्रश्नगत भूमि को निःशुल्क अकृषक पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यायालय को वापस करें तदोपरान्त खतौनी में प्रविष्टि हेतु पत्रावली तहसीलदार फरीदपुर को भेजी जाये । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

दिनॉक 13.03.2012

हस्ताक्षर अपठनीय
(रवीन्द्र कुमार)
उप जिलाधिकारी,
फरीदपुर

प्रमोद शर्मा 108
13-3-12
13-3-12
नकल 910 141
सत्य प्रतिलिपि
उप जिलाधिकारी, फरीदपुर

N.K. Chaudhary, Notary, Govt. of U.P. (India)

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :बरेली,तहसील :फरीदपुर
वाद सख्या :-03289/2018
कम्प्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201812130303289
राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट बनाम सरकार
अतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

~~~~ निर्णय आदेश दिनांक 28-11-18

इस वाद की कार्यवाही श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 19 एमआईजी आवास विकास, सिविल लाइन्स बरेली अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुई। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि आराजी खाता सं0 38 गाटा संख्या 372 रकबा 0.393हे0 स्थित ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली में स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा व दखल है, एवं अकृषिक कार्य में प्रयुक्त हो रही है। वादग्रस्त आराजी पर वादी द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वादी वादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित कराना चाहता है, तथा माननीय न्यायालय द्वारा अकृषिक घोषित कराया जाना कानूनी रूप से उचित व आवश्यक है। वाद ग्रस्त आराजी पर वादी द्वारा शिक्षण संस्थान हेतु अकृषिक घोषित किये जाने से राज्य सरकार को भविष्य में पर्याप्त अतः स्टाम्प शुल्क आदि के रूप में प्राप्त होने की प्रबल सम्भावना है। वादग्रस्त आराजी विवाद रहित है। माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, तथा माननीय न्यायालय को वाद उपरोक्त की सुनवाई किये जाने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वादी के प्रार्थना पत्र की तहसीलदार फरीदपुर द्वारा जांच कराई गई, तहसीलदार फरीदपुर द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 19.11.2018 को प्राप्त हुई। तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी जांच आख्या में अंकित है कि ग्राम गौसगंज सराय के खाता सं0 38 गाटा संख्या 372 रकबा 0.393हे0 पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है, वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त क्षेत्रफल अकृषिक है। अतः ग्राम गौसगंज सराय के खाता सं0 38 गाटा संख्या 372 रकबा 0.393हे0 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। वादी द्वारा उदघोषणा शुल्क जो (जिलाधिकारी बरेली द्वारा निर्धारित सर्किल रेट) राजस्व नियमावली 2016 के अनुसार आगणित शुल्क 31,050/- जो संलग्न पत्रावली चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा फरीदपुर में दिनांक 27.11.2018 को जमा किया जा चुका है। तहसीलदार फरीदपुर रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार फरीदपुर की आख्या से सहमत होते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्त के आधार पर वादी श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 19 एमआईजी आवास विकास, सिविल लाइन्स बरेली अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.2018 एवं

23

NOTARY N.K. Chaudhary Advocate & Notary Tehsil Faridpur (Bareilly) GOVERNMENT OF U.P. INDIA
~~~~

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :बरेली,तहसील :फरीदपुर
वाद संख्या :-03289/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201812130303289
राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

तहसीलदार फरीदपुर की जाच आख्या दिनांक 19.11.2018 स्वीकार की जाती है. भूमि स्थित ग्राम गौसगंज सराय के खाता सं0 38 गाटा संख्या 372 रकबा 0.393हे0 अकृषक घोषित किया जाता है। आदेश की दो प्रति उपनिबन्धक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये, कि वह प्रश्नगत आराजी को अकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यायालय को वापस करें। परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :- नवम्बर 28, 2018.

ह0 (राकेश सिंह)
उपजिलाधिकारी 28.11.18
फरीदपुर

28-11-18
01-12-18
380 71/-

N.K. Chaudhary
Notary
Government of U.P. (India)

पृष्ठ संख्या :

न्यायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली) ।

वाद सं0 टी 20141213032824

धारा–143यू0पी0जेड0ए0एल0आर0एक्ट ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट बनाम सरकार

निर्णय आदेश दिनांक 28.8.14

श्री मुकेश कुमार गुप्ता अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट 19 एम0आई0जी0 आवास विकास कालौनी बरेली ने दिनांक 21–03–2014 को प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट एवं उसके साथ संलग्न उद्वरण खतौनी 1416 फ0 से 1421 फ0 ग्राम गौसगंज सराय खाता सं0–94 गाटा सं0–373 रकवा 0.082 है0 लगान 1.26 पैसा स्थित ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जनपद बरेली का काबिज मालिक व दखील है । वादग्रस्त आराजी को वादी शिक्षण कार्य के रूप में उपयोग करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अकृषक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रार्थना–पत्र की जांच तहसीलदार, फरीदपुर से करायी गयी। तहसीलदार, फरीदपुर ने अपनी आख्या दिनांक 25–08–2014 में यह उल्लेख किया है कि ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के ग्राम गौसगंज सराय खाता सं0–94 गाटा सं0–373 रकवा 0.082 है0 लगान 1.26 पैसा स्थित ग्राम गौसगंज सराय भूमि का उपयोग कृषि कार्य बागवानी व पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कुट पालन भी आता है नहीं किया जा रहा है । उक्त क्षेत्रफल में आकृषिक औद्योगिक/आबादी हो गयी है को, धारा–143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम नियमावली के नियम–135 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

आदेश

अतः तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनांक 25–08–2014 के आधार पर ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के खाता सं0–94 गाटा सं0–373 रकवा 0.082 है0 भूमि के क्षेत्रफल का उपयोग कृषि कार्य बागवानी व पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कुट पालन भी आता है नहीं किया जा रहा है, को अकृषिक घोषित किया जाता है। ज0वि0अधि0 की धारा–143 तदविषयक नियमावली के नियम–135 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते हैं कि आदेश की दो प्रति उप निबंधक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरांत एक प्रति न्यायालय को वापस करें। तदोपरांत खतौनी में प्रविष्ट हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार, फरीदपुर को भेजी जाये । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 28–08–2014

हस्ताक्षर अपठनीय

(उमेश कुमार मंगला)
उप जिलाधिकारी,
फरीदपुर।

न्यायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली)

वाद सं0 07 / 2008-09

धारा-143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट
ग्राम : गौसगंज सराय परगना व
तहसील फरीदपुर जिला बरेली।

राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट बनाम सरकार
अध्यक्ष मुकेष कुमार गुप्ता

नकल **निर्णय** आदेश दिनांक 21-1-09

प्रस्तुत वाद श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट, 19 एम0आई0जी0 आवास विकास कालौनी सिविल लाईन्स बरेली द्वारा ट्रस्टी अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 19 एम0आई0जी0 आवास विकास कालौनी, बरेली ने दिनांक 08.12.2008 को एक प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र अन्तर्गत धारा-143 जैड0ए0एल0आर0एक्ट एवं उसके साथ संलग्न सन फ0-1410-1415 फ0 ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर के गाटा सं0 375 रकबा 0.5240है, गाटा सं0 376 रकबा 0.5260, गाटा सं0 381 रकबा 0.6860, गाटा सं0 382 रकबा 0.339 है0, गाटा सं0 383 रकबा 0.3200है0, गाटा सं0 384 रकबा 0.6860, गाटा सं0 387 रकबा 0.5720है0, गाटा सं0 388 रकबा 0.5720है0, गाटा सं0 389 0.1900 है0, गाटा सं0 390 रकबा 0.1900 है0, गाटा संख्या 391 रकबा 0.1910 है0, गाटा सं0 392 रकबा 0.1140 है0, गाटा सं0 393 रकबा 0.4570 है0, गाटा सं0 394 रकबा 0.4580है0 कुल 14 किता लगान 144-40 पैसा की प्रति प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि **उक्त भूमि शिक्षण संस्थान निमार्ण प्रयोग आबादी हेतु** लाई जा रही है **अतः कृषि भूमि की श्रेणी परिवर्तित कर आकृषिक भूमि घोषित** कराना चाहते है।

उक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार, फरीदपुर से कराई गई, तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी आख्या दिनांक 19.01.2009 द्वारा यह उल्लेख किया है कि ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के गाटा सं0 375 रकबा 0.5240है, गाटा सं0 376 रकबा 0.5260, गाटा सं0 381 रकबा 0.6860, गाटा सं0 382 रकबा 0.339 है0, गाटा सं0 383 रकबा 0.3200है0, गाटा सं0 384 रकबा 0.6860, गाटा सं0 387 रकबा 0.5720है0, गाटा सं0 388 रकबा 0.5720है0, गाटा सं0 389 0.1900 है0, गाटा सं0 390 रकबा 0.1900 है0, गाटा संख्या 391 रकबा 0.1910 है0, गाटा सं0 392 रकबा 0.1140 है0, गाटा सं0 393 रकबा 0.4570 है0, गाटा सं0 394 रकबा 0.4580है0 कुल 14 किता लगान 144-40 पैसा का उपयोग कृषि कार्य बागवानी व पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कुट पालन भी आता है नहीं किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रफल आकृषिक आबादी हो गई है, क्योंकि मौके पर शिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य हो रहा है, चारों ओर पक्की बाउन्ड्री हो गई है जो धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के नियम 135 के अन्तर्गत आकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

For Shri Rajendra ... Trust
President

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत आराजी कृषि उधानकरण मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन से असंबद्ध प्रयोजन के लिये प्रयोग हो रही है। इसलिए तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनांक 19.01.2009 के आधार पर प्रश्नगत आराजी को आकृषिक भूमि घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त के आधार पर ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली स्थित आराजी गाटा सं0 375 रकवा 0.5240हे0, गाटा सं0 376 रकवा 0.5260, गाटा सं0 381 रकवा 0.6860, गाटा सं0 382 रकवा 0.339 हे0, गाटा सं0 383 रकवा 0.3200हे0, गाटा सं0 384 रकवा 0.6860, गाटा सं0 387 रकवा 0 5720हे0, गाटा सं0 388 रकवा 0.5720हे0, गाटा सं0 389 0.1900 हे0, गाटा सं0 390 रकवा 0.1900 हे0, गाटा संख्या 391 रकवा 0.1910 हे0, गाटा सं0 392 रकवा 0.1140 हे0, गाटा सं0 393 रकवा 0.4570 हे0, गाटा सं0 394 रकवा 0.4580हे0 कुल 14 किता लगान 144-40 पैसा क्षेत्रफल को आकृषिक घोषित किया जाता है। ज0वि0अ0वि0 की धारा 143 तदविषयक नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते हैं कि आदेश की दो प्रति उप निबंधक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जायें कि वह प्रश्नगत आराजी को निशुल्क आकृषिक भूमि पंजीकृत करें अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यायालय को वापस करें [illegible] हेतु पत्रावली तहसीलदार फरीदपुर को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 21-01-2009

हस्ताक्षर अस्पष्ट

(मुनीष कुमार शर्मा)
उप जिलाधिकारी, फरीदपुर।

NOTARY
N.K. Chaudhary
Advocate & Notary
GOVERNMENT OF U.P. (INDIA)

न्यायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली)।

वाद सं0 टी 20141213032823 — धारा-143यू0पी0जे0ए0एल0आर0एक्ट ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट बनाम सरकार

नकल निर्णय आदेश दिनांक 28-8-14

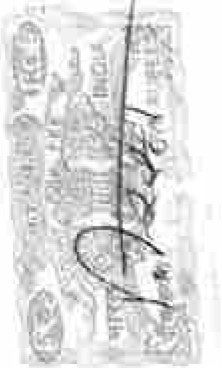

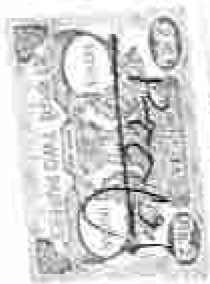

श्री मुकेश कुमार गुप्ता अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट 13 एम0आई0जी0 आवास विकास कालौनी बरेली ने दिनांक 01-08-2014 को प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र अन्तर्गत धारा-143 जैड0ए0एल0आर0एक्ट एवं उसके साथ संलग्न उद्धरण खतौनी 1416 फ0 से 1421 फ0 ग्राम गौसगंज सराय खाता सं0-29 गाटा सं0-377 रकबा 1.168 है0 लगान 29.06 पैसा स्थित ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जनपद बरेली का काबिज मालिक व दखील है। वादग्रस्त आराजी को वादी शिक्षण कार्य के रूप में उपयोग करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अकृषक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच तहसीलदार, फरीदपुर से करायी गयी। तहसीलदार, फरीदपुर ने अपनी आख्या दिनांक 25-08-2014 में यह उल्लेख किया है कि ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के ग्राम गौसगंज सराय खाता सं0-29 गाटा सं0-377 रकबा 1.168 है0 लगान 29.06 पैसा स्थित ग्राम गौसगंज सराय भूमि का उपयोग कृषि कार्य बागवानी व पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कुट पालन भी आता है नहीं किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रफल में आकृषिक औद्योगिक/आबादी हो गयी है को, धारा-143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम नियमावली के नियम-135 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की हैं।

आदेश

अतः तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनांक 25-08-2014 के आधार पर ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के खाता सं0-29 गाटा सं0-377 रकबा 1.168 है0 भूमि के क्षेत्रफल का उपयोग कृषि कार्य बागवानी व पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कुट पालन भी आता है नहीं किया जा रहा है, को अकृषिक घोषित किया जाता है। ज0वि0अधि0 की धारा-143 तदविषयक नियमावली के नियम-135 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते हैं कि आदेश की दो प्रति उप निबंधक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरांत एक प्रति न्यायालय को वापस करें। तदोपरांत खतौनी में प्रविष्ट हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार, फरीदपुर को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 28-08-2014

ह0 अपठनीय

(उमेश कुमार मंगला)
उप जिलाधिकारी,
फरीदपुर।